दिनांक 27.07.2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार जोन 01 नेहरु नगर के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों एवं एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ पर निगम की उड़नदस्ता टीम कार्यवाही की।

आज उड़नदस्ता की टीम निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 14 जवाहर नगर पहुंचे जहां पर अंजली स्वीट्स एंड मिक्सचर के संचालक राकेश शाह के द्वारा मारुति वैन में खराब मिक्सचर, मटर के दाने, पापड़ी, सेव, फल्ली के दाने आदि को गुपचुप तरीके से वार्ड क्रमांक 14 जवाहरनगर दारु भट्टी के पास फेंका जा रहा था, जिसकी भनक उड़नदस्ता की टीम को लगने पर मौके पर पहुंची तथा अनजाने में इसे बच्चे एवं अन्य कोई सेवन न करें इसलिए खराब खाद्य पदार्थों को बड़ी मात्रा में जप्त किया गया एवं 5000 की चालानी कार्रवाई की गई तथा इन पदार्थों को विनिस्ट्रीकरण करने हेतु भेजा गया!

उड़नदस्ता की टीम द्वारा बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ, नालियों पर कचरा, सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि की जायजा लिया लिया गया तथा 12 प्रतिष्ठान से 17000 रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाइश दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने या गंदगी फैलाने, एक्सपायरी खाद्य एवं पेय पदार्थ पाये जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है।

जनसम्पर्क अधिकारी